न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री महावीरसिंह जोधा, RAS)

राजस्व वाद संख्या 03/2022 अन्तर्गत धारा 88, 40, 188, RT Act.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
सुगनकवर पुत्री करनीदान पत्नी नरपतदान जाति चारण, निवासी गूंगा तहसील शिव, जिला बाड़मेर हाल निवासी बिराई तहसील तिवरी, जिला जोधपुर		1 रविदान उर्फ रवेशदान पुत्र करनीदान 2 कुमेरदान पुत्र करनीदान 3 उगमकवर पत्नी सैणीदान 4 आवड़दान पुत्र सगतीदान 5 चन्द्रपाल पुत्र हेतुदान 6 हिंगलाजदान पुत्र हेतुदान 7. सिरे कवर पत्नी हेतुदान 8. इन्द्रदान पुत्र विजयदान 9. ईश्वरसिंह पुत्र जीवणदान 10. उगमदान पुत्र जेतदान 11. उतमदान पुत्र जीवणदान 12. उदयकंवर पत्नी भंवरदान 13. कैलाशदान पुत्र मुरारदान 14. कैलाशदान पुत्र जेतदान 15. गवरकंवर पत्नी रतनदान 16. चन्दनदान पुत्र जीवणदान 17. जीवणदान पुत्र शंकरदान 18. दुर्गादान पुत्र मुरारदान 19. नारायणदान पुत्र रतनदान 20. पृथ्वीराज पुत्र भंवरदान 21. पाबुदान पुत्र रामलाल 22. पार्वती पत्नी जवारदान 23. भूरदान पुत्र हरदान 24. शेषकरण पुत्र भंवरदान 25. शिवदान पुत्र जेतदान 26. सवेश्वरदान पुत्र रतनदान 27. सवाईदान पुत्र जवारदान 28. सोमदान पुत्र जेतदान 29. ओमदान पुत्र इन्द्रदान 30. मंगलदान पुत्र हरदान 31. मुरारदान पुत्र गोविन्ददान 32. लीलादेवी पत्नी इन्द्रदान 33. सुमेरदान पुत्र इन्द्रदान 34. अरविन्दसिंह पुत्र दुर्गादान 35. सजनसिंह पुत्र कैलाशदान 36. दुर्गाकंवर पत्नी दुर्गादान 37. महिपालसिंह पुत्र दुर्गादान 38. दिलीपसिंह पुत्र दुर्गादान, जाति चारण, निवासी गूंगा तहसील शिव, जिला बाड़मेर 39. जानाम पुत्र दलाराम 40. लक्ष्मणराम पुत्र दलाराम 41. सोनाराम पुत्र दलाराम जाति कुम्हार निवासी ईश्वरपुरा, भादरेश तहसील व जिला बाड़मेर 42. हुसैन पुत्र इस्माइल 43. हासम पुत्र इस्माइल जाति मुसलमान निवासी खुड़ाल, तहसील शिव, जिला बाड़मेर 44. शाखा प्रबंधक, बालोतरा सहकारी भूमि विकास बैंक, शिव 45. तहसीलदार शिव

उपस्थित :– 1. अधिवक्ता वादीनी – श्री ईश्वरसिंह भाटी।

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 31.07.2023

वादीनी के वादपत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की संयुक्त एवं पैतृक खातेदारी की भूमि मौजा गूंगा, तहसील शिव के खेत खसरा नम्बर 419, 420, 110, 101, 126, 48, 49, 50, 51, 537, 542, 898/110, 467, 468, 416 रकबा क्रमशः 3.0594, 12.0030, 15. 8879, 1.4245, 0.4209, 0.8094, 7.0901, 0.2185, 4.4839, 0.2671, 0.2266, 14.8843, 5.7627, 0.0890, 12. 1729 हैक्टेयर व मौजा चक गूंगा, तहसील शिव के खेत खसरा नम्बर 75, 128 रकबा क्रमशः 14.3178, 13. 0309 हैक्टेयर तथा मौजा बरियाड़ा, तहसील शिव के खेत खसरा नम्बर 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549 रकबा क्रमशः 1.5783, 0.8013, 0.4694, 0.5504, 0.5827, 0.4613, 0.9712, 0.7122, 0.7365, 1.3597, 1.5783, 1.7725 हैक्टेयर की आयी हुई है। उक्त खातेदारी खेत वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को विरासत में प्राप्त हुए है, जो स्व. करनीदान के नाम से दर्ज थे। स्व. करनीदान का देहांत होने पर प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा जानबूझकर विरासती नामांतरकरण में वादीनी का नाम खातेदारी में दर्ज नहीं करवाया गया। उक्त विवादित आराजी पैतृक रूप से प्राप्त होने से वादग्रस्त आराजी में करनीदान के हिस्से में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के साथ वादीनी का भी बहक बराबर हक हिस्सा बनता है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पैतृक सहदायिकी सम्पति मे पुत्र/पुत्री/पौत्र/पौत्री का जन्म से अधिकार होता है। उक्त वादग्रस्त आराजी मे वादीनी का मौजा गूंगा के खाता संख्या 427 में 1/72, खाता संख्या 499 में 1/4, खाता संख्या 425 मे 1/72, खाता संख्या 216 मे 1/24, खाता संख्या 435 मे 1/288 व मौजा चक गूंगा के खाता संख्या 42 मे 1/96, खाता संख्या 165 मे 1/8 तथा मौजा बरियाड़ा के खाता संख्या 165 में 2/9 खातेदारी हिस्सा बनता है। अतः उक्त विवादित पैतृक सहदायिकी खातेदारी

सहायक कलक्टर (SDO) शिव.

Scanned with OKEN Scanner

वादीनी द्वारा स्वयं को प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के साथ सहखातेदार घोषित करवाने की अधिकारीणी होने से उक्त वाद खातेदारी घोषणा हेतु पेश किया गया है।

वाद पंजीयन किया जाकर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी संख्या 1 से 44 बावजूद तामिली अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है।

वादीनी द्वारा अपने बयान कलमबद्ध करवाये और दरतावेजी साक्ष्य में वादग्रस्त भूमि की वर्तमान जमाबंदियां, विरासती नामांतरकरण व अन्य दस्तोवज पेश किये गये। वादीनी की ओर से साक्ष्य स्वरूप बयान गवाह शपथ पत्र व वादीनी के पिता स्व. श्री करणीदान के वारिशान के संबंध में 50/– रूपये के स्टाम्प पर शपथ पत्र पेश किया गया तथा दस्तावेज प्रदर्श करवाये गये।

वादीनी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में वाद के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि विवादित आराजी में वादीनी का स्व0 करणीदान की जाइंदा संतान होने से उसकी संपति में विरासती हक हिस्सा होने एवं वादग्रस्त आराजी पैतृक सहदायिकी संपति होने से वादीनी का वाद स्वीकार किया जाकर तद्नुसार वादीनी को प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के साथ सहखातेदार घोषित किये जाने का आदेश फरमाया जावें।

हमने वाद के तथ्यों पर वादीनी अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। चूंकि वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 वादग्रस्त आराजी के पूर्व खातेदार स्व0 करनीदान के विधिक वारिसान है। पूर्व खातेदार स्व. करनीदान के फौत होने पर उसके फौतगी नामांतरकरण में उनके समस्त विधिक वारिशान को बहक बराबर का सहखातेदार घोषित किया जाना था, किन्तु उसकी जाइंदा पुत्री का नाम खातेदारी में दर्ज नहीं करवाया गया। चूंकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 व 8 के तहत पैतृक व सहदायिकी संपति में उसके पुत्र/पुत्री/पौत्र/पौत्री का जन्मतः अधिकार निहित होता है। वर्तमान जमाबंदी में वादीनी का नाम दर्ज नहीं है, जबकि वादीनी अधिवक्ता की ओर से पेश दस्तावेज तथा साक्ष्य शपथ पत्र से वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 पूर्व पुरूष स्व0 करनीदान के वारिश होना साबित है। चूंकि उक्त वाद में वादीनी अधिवक्ता द्वारा वादीनी को प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के साथ सहखातेदार घोषित करने की इस्तदुआ चाही गई है। वादीनी स्वयं द्वारा भी न्यायालय में उपस्थित होकर बयान गवाह शपथ पत्र पेश कर स्वयं को प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के साथ सहखातेदार घोषित किये जाने का निवेदन किया गया है। अतः उक्त स्थिति में वादग्रस्त आराजी पैतृक संपति होने तथा वादीनी पैतृक संपति में अपना हक हिस्सा निर्धारित करवाने की विधिक अधिकारिणी होने से वादीनी के वाद को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के साथ सहखातेदार घोषित करने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा वादीनी का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा गूंगा, तहसील शिव के खेत खसरा नम्बर 419, 420, 110, 101, 126, 48, 49, 50, 51, 537, 542, 898/110, 467, 468, 416 रकबा क्रमशः 3.0594, 12.0030, 15.8879, 1.4245, 0.4209, 0.8094, 7.0901, 0.2185, 4.4839, 0.2671, 0.2266, 14.8843, 5.7627, 0.0890, 12.1729 हैक्टेयर व मौजा चक गूंगा, तहसील शिव के खेत खसरा नम्बर 75, 128 रकबा क्रमशः 14.3178, 13.0309 हैक्टेयर तथा मौजा बरियाड़ा, तहसील शिव के खेत खसरा नम्बर 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549 रकबा क्रमशः 1.5783, 0.8013, 0.4694, 0.5504, 0.5827, 0.4613, 0.9712, 0.7122, 0.7365, 1.3597, 1.5783, 1.7725 हैक्टेयर भूमि में वादीनी को प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के साथ बहक बराबर सहखातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। उक्त निर्णय से बैंक हित अप्रभावित रहेंगे। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

न्यायालय सहायक कलक्टर शिव
जिला-बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 31.07.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

Scanned with OKEN Scanner